सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 129 राँची ,शनिवार 1 चैत्र 1936 (श०)

22 मार्च, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 फरवरी, 2014

1. उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक- 48 / डी०आर०डी०ए०, दिनांक 9 जनवरी, 2008

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का पत्रांक- 2853, दिनांक 17 मई, 2008 तथा पत्रांक-2737, दिनांक 24 मई, 2011

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प सं०-4534, दिनांक 22 जुलाई, 2008 तथा संकल्प सं० 5727, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008

संख्या-2136--श्री शारदानन्द देव, झा० प्र० से० (कोटि क्रमांक- 586/03 गृह जिला- दरभंगा), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार के विरूद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव/काण्डी के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-48 / डी०आर०डी०ए०, दिनांक 9 जनवरी, 2008 के द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप-पत्र प्राप्त है।

प्रपत्र-'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं:-

1. काण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-पंचायत पतीला, ग्राम-चोका के श्री मुन्द्रिका मेहता, पिता- स्व० बनवारी मेहता एवं भगमनिया कुँअर, पति- नकछेदी ताँती, रहीमन बीबी, पति-गुलाबुद्दीन मियाँ, ग्राम-पतीला, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी, जिनकी मृत्यु हो गयी है; फिर भी जीवित मानते हुए उन्हें लगातार मार्च 2007 तक उनके नाम से पेंशन की राशि की निकासी की गयी है और श्री गणेश तिवारी, पंचायत सेवक के द्वारा सरकारी राशि का गबन किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काण्डी के पद पर रहने के बावजूद आपके द्वारा कोई अनुश्रवण नहीं किये जाने के फलस्वरूप सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है।

2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काण्डी के पद पर कार्यरत रहते हुए आपके द्वारा ग्राम पंचायत खुटहेरिया के ग्राम गोसांग में 2006-2007 में (i) श्री प्रदीप प्रजापति, (ii) श्री मनोज प्रजापति, (iii) राजेश्वर रजवार, (iv) राम सरीखा प्रजापति को इन्दिरा आवास आवंटित किया गया है और प्रथम किस्त 12,500/- रू० का भुगतान किया गया है। परन्तु स्थल पर आवास योजना अस्तित्व में नहीं पाया गया है। आपके द्वारा इन्दिरा आवास योजना का अनुश्रवण नहीं किए जाने के फलस्वरूप सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है।

3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काण्डी के पद पर कार्यरत रहते हुए आपके द्वारा नरेगा मद से काण्डी प्रखण्ड की स्वीकृत योजना फुटहड़वा मेन रोड बेलहथ, बलियारी सीमा तक ग्रेड 2 पथ निर्माण का कार्यान्वयन हेतु श्री अमर कुमार सिन्हा, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मझिआँव को आपके द्वारा अभिकर्ता नियुक्त किया गया था। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः दिनांक 31 मई, 2006 को 7,500 रू०, दिनांक 28 मार्च, 2007 को 50,000 रू०, दिनांक 31 मार्च, 2007 को 1,00,000 रू० तथा 10 सितम्बर, 2007 को 2,00,000 रू० कुल 3,57,500 रू० अग्रिम के रूप में अभिकर्ता को आपके द्वारा भुगतान किया गया, परन्तु भुगतान की गयी अग्रिम के विरूद्ध योजना में कोई कार्य नहीं कराया गया। बिना कार्य कराये तथा बिना कार्य का मूल्यांकन कराये आपके द्वारा अभिकर्ता को चार किस्तों में कुल 3,57,500.00 रू० राशि का अग्रिम देना दर्शाता है कि आप सरकारी राशि के सदुपयोग के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं तथा अभिकर्ता के साथ सरकारी राशि का गबन करने की मंशा से आपके द्वारा यह अनियमितता बरती गयी है। आपके द्वारा बरती गयी इस अनियमितता के कारण सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ है।

4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काण्डी के पद पर कार्यरत रहते हुए आपके द्वारा कांडी प्रखंड अन्तर्गत नारायणपुर नहर से पुरहे ग्राम होते हुए शिव स्थान तक ग्रेड 1 पथ निर्माण की योजना में लाभुक समिति के अध्यक्ष- सचिव को दिनांक 26 फरवरी, 2007 को 7500.00 रू० दिनांक 5 मार्च, 2007 को 50,000.00 रू० दिनांक 12 मार्च, 2007 को 1,00,000.00 रू० दिनांक 18 मार्च, 2007 को 2,00,000.00 रू० कुल 3,57,000.00 रू० अग्रिम का भुगतान किया गया है। परन्तु योजना में इस अग्रिम के विरूद्ध कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। बिना कार्य कराये तथा बिना कार्य का मूल्यांकन कराये आपके द्वारा लाभुक समिति के अध्यक्ष- सचिव को चार किस्तों में कुल 3,57,000.00 रू० राशि का अग्रिम देना दर्शाता है कि आप सरकारी राशि के सदुपयोग के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं तथा लाभुक समिति के अध्यक्ष-सचिव के साथ सरकारी राशि को गबन करने की मंशा से आपके द्वारा यह अनियमितता बरती गयी है। आपके द्वारा बरती गयी इस अनियमितता के कारण सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ है।

5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांडी के पद पर कार्यरत रहते हुए कांडी प्रखण्ड अन्तर्गत नरेगा मद से स्वीकृति योजना मझिआँव-कांडी मुख्य पथ से ग्राम- भण्डरिया बराज होकर मोरबे सीवाना तक ग्रेड 2 पथ निर्माण का कार्यान्वयन हेतु श्री अमर कुमार सिन्हा को आपके द्वारा अभिकर्ता नियुक्त किया गया और दिनांक 21 फरवरी, 2007 को 7,500.00 तथा 27 फरवरी, 2007 को 1,00,000.00 रू० कुल 1,07,000.00 रू० अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया, परन्तु भुगतान की गयी अग्रिम के विरूद्ध योजना में बिना कार्य कराये तथा बिना कार्य का मूल्यांकन कराये आपके द्वारा अभिकर्ता को दो किस्तों में कुल 1,07,000.00 रूपया राशि का अग्रिम देना दर्शाता है कि आप सरकारी राशि के सदुपयोग के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं तथा अभिकर्ता के साथ सरकारी राशि को गबन करने की मंशा से आपके द्वारा अनियमितता बरती गयी है। आपके द्वारा बरती गयी इस अनियमितता के कारण सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ है।

6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव के पद कार्य करते हुए आपके द्वारा मझिआँव प्रखण्ड अन्तर्गत नरेगा मद से स्वीकृत योजना सं०-5/06-07 ग्राम- कोईबारा के खाता-1, प्लाट- 13 में खजुरिया नाला पर वाटर टावर निर्माण का योजना में प्रथम अग्रिम 7500,00 एवं द्वितीय अग्रिम 1.00 लाख कुल 1,07,000.00 रू० भुगतान किया गया है। बिना कार्य कराये तथा बिना कार्य का मूल्यांकन कराये आपके द्वारा लाभुक समिति के अध्यक्ष-सचिव को तीन किस्तों में कुल 1,07,000.00 रूपया राशि का अग्रिम देना दर्शाता है कि आप सरकारी राशि के अध्यक्ष-सचिव के साथ सरकारी राशि को गबन करने की मंशा से आपके द्वारा अनियमितता बरती गयी है। आपके द्वारा बरती गयी इस अनियमितता के कारण सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ है।

7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव के पद पर कार्यरत रहते हुए आपके द्वारा मझिआँव प्रखण्ड अन्तर्गत नरेगा मद से स्वीकृत योजना सं०- 2/06-07 ग्राम-सोनपुरवा खाता-1/22 प्लाट-81 में वाटर टावर निर्माण की योजना में प्रथम अग्रिम 7500.00 रू० एवं 1,00,000.00 रू० पुनः दिनांक 25 जुलाई, 2006 को द्वितीय अग्रिम 1,00,000.00 रू० कुल 2,07,500.00 रूपया अग्रिम के रूप में लाभुक समिति के अध्यक्ष-सचिव को भुगतान किया गया है। इसके विरूद्ध योजना का कार्य मूल्यांकन 96825.00 रू० किया गया। पूर्व के अग्रिम का बिना समायोजन किये एवं बिना कार्य कराये तथा बिना कार्य का मूल्यांकन कराये आपके द्वारा लाभुक समिति के अध्यक्ष-सचिव को तीन किस्तों में कुल 2,07,000.00 रूपया राशि का अग्रिम देना दर्शाता है कि आप सरकारी राशि के सदुपयोग के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं तथा लाभुक समिति के अध्यक्ष-सचिव के साथ सरकारी राशि को गबन करने की मंशा से आपके द्वारा यह कार्य किया गया है। आपके द्वारा बरती गयी इस अनियमितता के कारण सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ है।

8. मझिआँव प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन की अवधि में 29 मई, 2007 को उप विकास आयुक्त, गढ़वा द्वारा मझिआँव प्रखण्ड कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि मझिआँव प्रखण्ड का सामान्य रोकड़ बही एवं सामान्य रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष में भिन्नता पायी गयी। सहायक रोकड़ बही के अनुसार 1,69,71,259.00 एवं सामान्य रोकड़ बही में राशि 1,59,13,826.16 रूपया अंतशेष दर्शाया गया है। दोनों रोकड़ बही में राशि 10,57,432.93 रूपया का अन्तर पाया जाना सरकारी राशि का अस्थायी गबन का मामला है। रोकड़ बही का संधारण सुनिश्चित कराना आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही थी। ऐसा नहीं किया जाना वित्तीय कार्य के प्रति आपकी लापरवाही का द्योतक है।

9. मझिआँव प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन की अवधि में श्री अमर कुमार सिन्हा, सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी, मझिआँव प्रखण्ड द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत् फसल का बीमा हेतु 103 किसानों का 16,079.58 रू० प्रिमियम की राशि वसूल कर इंश्योरेंश कम्पनी को नहीं भेजा गया है और उस राशि का उनके द्वारा गबन किया गया है। आपके द्वारा सही ढंग से अनुश्रवण नहीं किये जाने के फलस्वरूप कृषि बीमा राशि का दुरूपयोग और राशि का गबन किया गया है।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-2853 दिनांक 17 मई, 2008 द्वारा श्री देव से स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं स्मरित भी किया गया। श्री देव द्वारा विभागीय निदेश के अनुपालन में अपना स्पष्टीकरण पत्रांक- 232(ii)/स्था०, दिनांक 04.06.2008 द्वारा समर्पित किया गया है।

श्री देव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप तथा इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के संमीक्षोपरांत विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार विभागीय संकल्प सं०-4534, दिनांक 22 जुलाई, 2008 द्वारा श्री देव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती निधि खरे, भा०प्र०से०, आयुक्त, द०छो०नागपुर प्रमंडल को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः विभागीय संकल्प सं० 5727, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 के द्वारा श्रीमती निधि खरे, के स्थान पर श्रीमती शीला किस्कू रपाज, भा०प्र०से०, आयुक्त, द०छो०नागपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी श्रीमती शीला किस्कू रपाज, भा०प्र०से०, आयुक्त, द०छो०नागपुर द्वारा अपने पत्रांक 1631/स्था० गो० दिनांक 22 सितम्बर, 2010 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री देव के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2737, दिनांक 24 मई, 2011 द्वारा श्री देव से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री देव ने अपने पत्रांक 60/भू०अ०, दिनांक 21 जून, 2011 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया।

श्री देव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री देव को बचाव अभ्यावेदन द्वितीय कारण पृच्छा के रूप में समर्पित करने का अनुरोध किया गया। श्री देव ने अपने पत्रांक-121, दिनांक 7 दिसम्बर, 2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया है। अतः श्री देव के विरूद्ध प्रमाणित उक्त आरोप के लिए इनपर दो वेतन वृद्धि अंसचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री शारदानन्द देव, झा०प्र०से० जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

यतीन्द्र प्रसाद,

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गज़ट (असाधारण) 129–50 ।